

8. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

एक परिचय

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर आसियान-सार्क शंघाई सहयोग संगठन, यूरोपीय यूनियन जैसे संगठन भी विशेष महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्रीय संगठनों द्वारा आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए कई मुक्त व्यापार समझौते भी किए गए हैं। इसी प्रकार विकसित

एवं विकासशील देशों द्वारा G-24, G-22, G-15, G-8, जैसे गूटों का निर्माण विशेष उद्देश्य से किया गया है। विश्व की आर्थिक महाशक्तियों के बीच अपना स्थान बनाने के उद्देश्य से भारत ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका ने इबसा (IBSA) का गठन किया है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सभी संगठन काफी महत्वपूर्ण हैं। जुलाई, 1994 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, (यूएसए) में आयोजित 44 राष्ट्रों के सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund IMF) और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विश्व विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और बढ़ावा देने, भुगतान की बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में सहायता देने, पर्याप्त सुरक्षा के तहत सदस्यों के भुगतान सन्तुलन की कठिनाइयों को दूर करने, अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

आईएमएफ के समझौते का प्रलेख 27 दिसम्बर, 1945 को लागू हुआ। किन्तु, इसने वास्तविक रूप से 1 मार्च, 1947 से कार्य करना प्रारम्भ किया। इसमें अभी 188 सदस्य हैं। 188 सदस्यों में से दक्षिण सूडान को अप्रैल, 2012 में सदस्यता दी गई। क्रिस्टीन लोगाडे इसकी प्रबन्ध निदेशक हैं। सहयोग तथा स्थायी वैश्विक मौद्रिक ढांचे को बढ़ावा देने के लिए स्थापित आईएमएफ एक प्रधान अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था है। भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है। जब से आईएमएफ की स्थापना हुई है, इसके उद्देश्यों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, किन्तु इसके संचालन, जिसमें निगरानी, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता शामिल हैं, में विश्व की बदलती अर्थव्यवस्था में इसके सदस्य देशों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए बदलाव हुए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

1. विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच एक स्थायी संस्था के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना।
2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रयास एवं सन्तुलित विकास के लिए

सुविधा प्रदान करना और इसके माध्यम से सभी सदस्य राष्ट्रों में रोजगार के उच्च स्तर को प्रोत्साहित करने एवं उसे बनाए रखने में योगदान देना।

3. विनिमय स्थायित्व को प्रोत्साहित करना, सदस्य राष्ट्रों के बीच नियमित विनिमय व्यवस्था को कायम रखना तथा प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय अवमूल्यन को रोकना।
4. सदस्य राष्ट्रों के बीच चालू व्यवसायों से सम्बन्धित बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था की स्थापना में तथा विदेशी प्रतिबन्धों की समाप्ति में मदद करना।
5. समुचित संरक्षणों के अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रों के लिए कोष साधनों को उपलब्ध कराकर उनमें विश्वास उत्पन्न करना तथा उन्हें राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय समृद्धि को नष्ट करने वाले उपायों को अपनाए बिना भुगतान सन्तुलन के असन्तुलन को सुधारने का अवसर प्रदान करना।
6. उत्तरोत्तर उद्देश्यों के अनुसार सदस्य राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तुलन के असन्तुलन की अविध एवं इसकी मात्रा को सन्तुलित करना।

संगठन एवं संरचना

- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रधान कार्यालय वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसका नियन्त्रण एवं प्रबन्धन एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निहित है। प्रत्येक सदस्य एक गवर्नर को नियुक्त करना है, जिन्हें, मिलाकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन होता है। भारत की ओर से पी. चिदम्बरम वर्तमान (2013) में गवर्नर नियुक्त किए गए हैं।
- बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक होती है जिसमें मुद्रा कोष के कार्यों की समीक्षा होती है तथा भविष्य के लिए नीतियों का निर्धारण किया जाता है।
- कार्यकारी बोर्ड मुद्रा कोष का सबसे शक्तिशाली अंग है। वर्तमान में इसके 21 सदस्य हैं।

गवर्नर कोटा

प्रत्येक गवर्नर को कितने मताधिकार प्राप्त हो, यह उस देश को प्राप्त कोटे के आधार पर निर्भर करता है। प्रत्येक गवर्नर को 250 मत सदस्यता के तथा उस देश को प्राप्त कोटे में प्रत्येक 1 लाख SDR पर एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार है। इन दोनों का योग ही सदस्य राष्ट्रों के मताधिकार को व्यक्त करता है।



देश	कोटा (प्रतिशत में)	देश	कोटा (प्रतिशत में)
संयुक्त राज्य अमेरिका	17.09	चीन इटली	3.72
जापान	6.13	सऊदी अरब	3.21
जर्मनी	5.99	कनाडा	2.93
यूके	4.94	रूस	2.74
फ्रांस	4.94	भारत	2.44

भारत और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष :

- भारत IMF का संस्थापक सदस्य है।
- भारत का वित्त मन्त्री IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पदेन गवर्नर होता है।
- IMF में भारत का प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निदेशक करता है, जो एक साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधि होता है।
- IMF की 13वीं समीक्षा बैठक में भारत का कोटा बढ़कर 1.91 से 2.44% हो गया और भारत IMF का 11वां बड़ा कोटाधारी राष्ट्र हो गया है।
- अपनी आवश्यकता के लिए IMF से कर्ज लेने वाले देश के बदले भारत अब IIMF का वित्त पोषक राष्ट्र बन चुका है।
- ये भारत के भुगतान सन्तुलन के सुदृढ़ होने तथा विदेशी मुद्राकोष में वृद्धि के कारण हुआ है।

भारत अब IMF के वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल

भारत, जो अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से समय-समय पर अपनी आवश्यकतानुसार ऋण लेता रहा है, अब इसके वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल हो गया है। दूसरे शब्दों में, अब भारत इस बहुपक्षीय संस्था को ऋण उपलब्ध कराने लगा है। मई व जून, 2003 में दो अलग-अलग किशतों में कुल मिलाकर 205 मिलियन SDR (291.70 मिलियन डॉलर) की राशि भारत ने मुद्रा कोष को फाइनेन्शियल ट्रांजेक्शन प्लान (FTP) के लिए उपलब्ध कराई थी।

विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)

विशेष आहरण अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कोष द्वारा जनित अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय परिसम्पत्तियां हैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एसडीआर को अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के समाधान के लिए शुरू किया था।

दिसम्बर, 1971 तक कोष की हिसाबी मुद्रा अमेरिकी डॉलर थी किन्तु दिसम्बर, 1971 में एमडीआर मुद्रा कोष की नई मुद्रा बन गई और कोष के सभी लेन-देन एसडीआर में व्यक्त किए जाने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में एमडीआर स्वर्ण मुद्रा की

भूमिका निभाता है।

अमेरिकी डॉलर	40%
जर्मन ड्यूश मार्क	21%
जापानी येन	17%
ब्रिटिश पाउण्ड	11%
फ्रांसीसी फ्रैंक	11%
कुल	100%

इसी कारण इसे कागजी स्वर्ण (Paper Gold) भी कहा जाता है 1997 में एक एसडीआर का मूल्य एक डॉलर के बराबर माना गया था, किन्तु डॉलर का मूल्य गिरने के कारण अप्रैल, 1995 में एक एसडीआर का मूल्य 1.585 डॉलर हो गया है।

1 जनवरी, 1981 से अपनाई गई पद्धति में एसडीआर का मूल्य 5 बड़े निर्यातक देशों की मुद्राओं की पिटारी (Basket of Currencies) के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 1991 में एसडीआर के मूल्य निर्धारण में इन पांच मुद्राओं का भार उल्लेखित था, यह प्रकार था अमेरिकी डॉलर 40% , जर्मन मार्क 21% जापानी येन 17% ब्रिटिश पाउण्ड 11% फ्रांसीसी फ्रैंक 11%

10 प्रमुख देशों के स्वर्ण भण्डार

क्र.सं.	देश	स्वर्ण भण्डार (टन में)
1.	अमेरिका	8133.5
2.	जर्मनी	3408.5
3.	इटली	2451.8
4.	फ्रांस	2445.1
5.	चीन	1054.0
6.	स्विट्जरलैण्ड	1041.5
7.	जापान	765.2
8.	नीदरलैण्ड	612.5
9.	रूस	568.4
10.	भारत	557.7

विश्व बैंक

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या विश्व बैंक



(WB) की स्थापना वर्ष 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत वर्ष 1945 में इस उद्देश्य से हुई थी कि युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था में शान्तिमय ढंग से लाने में सहायता दी जाए। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सह-संस्था है। विश्व बैंक की अधिकांश विकास सहायता इसकी सहयोगी एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (IDA) द्वारा प्रदान की जाती है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। विश्व बैंक प्रारम्भ में दो संस्थाओं के से सहयोग बना था।

- इण्टरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेण्ट (IBRD)
- इण्टरनेशनल डेवलपमेण्ट एसोशिएशन (IDA)

किन्तु बाद में तीन और संस्थाएं बनाई गईं

- इण्टरनेशनल फिनान्स कॉ-ऑपरेशन (IFC)
- मल्टी इन्वेस्टमेण्ट गारण्टी एजेन्सी (MICA)
- इण्टरनेशनल सेण्टर फॉर सेटेलमेण्ट एण्ड इन्वेस्टमेण्ट डिस्म्यूट्स (ICSID)

विश्व बैंक के उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह पांच अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का ऐसा समूह है, जो देशों को वित्त और वित्तीय सलाह प्रदान करता है।

विश्व बैंक के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1. उत्पादन रचनात्मक उद्देश्य के लिए पूंजी के निवेश की सुविधा प्रदान करने अपने सदस्यों के क्षेत्रों के पुनर्निर्माण तथा विकास में सहायता देना, और अपेक्षाकृत कम विकसित देशों में उत्पादन सुविधाओं और संसाधनों के विकास को प्रोत्साहन देना।
2. प्रतिभूतियां देकर निजी निवेशकों द्वारा ऋणों तथा अन्य निवेश में भागीदारी को बढ़ावा देना और जब उचित शर्तों पर पूंजी उपलब्ध न हो तो अपने संसाधनों से या उधार लिए गए संसाधनों से उत्पादन उद्देश्य के लिए वित्त की व्यवस्था करके निजी निवेश को सहयोग देना।
3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दीर्घ स्थायी वृद्धि को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के उत्पादक संसाधनों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन देना, सदस्य देशों के भुगतान-शेष में सन्तुलन बनाए रखना और उनके क्षेत्रों में वर्कर्स की उत्पादकता और उनका जीवन-स्तर एवं परिस्थितियों को बेहतर बनाने में सहायता देना।
4. अन्य माध्यमों से अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों के अनुपात में इसके द्वारा दिए गए अथवा गारण्टी शुद्ध ऋणों की व्यवस्था करना ताकि अधिक उपयोगी और जरूरी छोटी-बड़ी परियोजनाओं पर पहले ध्यान दिया जा सके।

सदस्यता

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य ही विश्व बैंक के भी सदस्य हैं जैसे ही कोई देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता कात्याग करता है, उसकी विश्व बैंक की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। 75% सदस्यों की सहमति से कोई भी सदस्य राष्ट्र (IMF) की सदस्यता त्यागने पर भी विश्व बैंक का सदस्य बना रहेगा।

वर्तमान में इसके 188 सदस्य हैं। यदि कोई देश इसकी सदस्यता छोड़ता है, तो उसे देय तिथियों पर ब्याज सहित सारे ऋण लौटने पड़ते हैं। जिस वर्ष कोई सदस्य त्याग-पत्र देता है, यदि उस वर्ष बैंक को कोई हानि होती है तो बैंक मांग पर उसे हानि के अपने हिस्से का भी भुगतान करना पड़ता है।

भारत और विश्व बैंक

- भारत विश्व बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
- विश्व बैंक से भारत को आर्थिक सहायता देने के लिए 1958 में एड इण्डिया क्लब कन्सोर्टियम की स्थापना की गई।
- जून, 1994 में इसका नाम बदलकर भारत विकास मंच कर दिया गया।
- विश्व बैंक भारत को ऋण, सलाह, अध्ययन दल आदि द्वारा सहायता पहुंचाता है।
- भारत-पाकिस्तान के बीच नदी जल विवाद सुलझाने में भी विश्व बैंक सहायक रहा है।
- विकसित देशों में स्थापित भारत सहायता संघ विश्व बैंक के सुझाव पर भारत की विकास योजनाओं में सहायता करता है।

विश्व बैंक की संरचना

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भांति विश्व बैंक का ढांचा भी त्रि-स्तरीय है। इसका एक अध्यक्ष होता है, दूसरे स्तर पर अधिशासी निदेशक होते हैं और तीसरे स्तर पर शासक मण्डल होता है। प्रशासनिक निदेशक बोर्ड की मीटिंग नियमित रूप से वर्ष में एक बार होती है जिसकी अध्यक्षता शासक मण्डल का अध्यक्ष करता है। प्रशासनिक निदेशक समझौते के नियमों के ढांचे में नीति के बारे में निर्णय लेते हैं। वे अध्यक्ष द्वारा दिए ऋण तथा साख सम्बन्धी सुझावों पर विचार करते हैं और निर्णय लेते हैं वे शासक मण्डल की वार्षिक मीटिंगों में ऑडिट शुद्ध हिसाब-किताब, प्रशासकीय बजट, और बैंक के प्रचालनों एवं नीतियों की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं अध्यक्ष के स्टाफ के रूप में 6,000 से अधिक व्यक्ति होते हैं, जो विश्व बैंक का कार्य चलाते हैं कई वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा विविध विभागों एवं क्षेत्रों के निदेशक उनके काम में सहायता करते हैं। प्रत्येक सदस्य देश 5 वर्ष की अवधि



के लिए एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर की नियुक्ति करता है। प्रत्येक गवर्नर के मतदान की शक्ति उसके देश की सरकार के वित्तीय योगदान से सम्बन्ध रखती है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जिम योंग किम हैं, जो दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं।

पूँजी संरचना

विश्व बैंक की अधिकृत पूँजी 10 बिलियन डॉलर है, जो एक-एक लाख डॉलर के एक लाख हिस्सों में विभक्त है। इसमें से 9400 मिलियन डॉलर वास्तव में अभिदत्त (Subscribed) थे। 30 जून, 1985 को IBRD के पास एक-एक लाख SDR सममूल्य के 7,16,500 अधिकृत हिस्सों का अधिकृत पूँजी स्टॉक था। जुलाई, 1992 में बैंक की कुल अधिकृत पूँजी 184.1 बिलियन डॉलर थी।

विश्व बैंक की वित्तीय रणनीति

इसके निम्नलिखित चार आधारभूत उद्देश्य हैं

1. यह सुनिश्चित करना कि बैंक को कोष उपलब्ध होते रहे। इस उद्देश्य के लिए बैंक यह प्रयत्न करता है कि जिन बाजारों से वह उधार लेता है उनके कोषों तक अपनी पहुंच बनाए रखे।
2. बैंक अपने उधार लेने वालों के लिए कोषों की प्रभावी लागत को न्यूनतम बनाए रखता है जिसे बैंक अपने कर्जों के करेन्सी मिश्रण के माध्यम से पूरा करता है। बैंक उन करेन्सियों में अधिकतर उधार लेता है जिसकी ब्याज दरें कम हों। बैंक ऐसा करेन्सी मिश्रण के लिए करता है कर्ज लेने के समय निर्धारण दो तरह से किया जाता है
 - (i) जब यह आशा हो कि ब्याज दरें गिरेंगी, तो यह अपने कर्जों को स्थगित करने का प्रयत्न करता है।
 - (ii) जब यह आशा हो कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो बैंक अधिक उधार लेने का प्रयत्न करता है।
3. इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध आय तथा कुल ऋण प्रभारों की परिवर्तनशीलता को नियन्त्रित करना है। जिसके लिए बैंक ने जुलाई, 1982 में एक पूल-आधारित परिवर्ती ऋण दर प्रणाली शुरू की जो इस प्रणाली के अन्तर्गत दिए गए सब ऋणों की बकाया राशि पर लागू होने वाले ब्याज सम्बन्धी खर्चों को अपने आप समायोजित कर देती है। पहले के ऋणों पर इस ऋण प्रणाली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परन्तु जब अधिकांश कर्ज और उधार भविष्य में नई प्रणाली में शामिल कर दिए जाएंगे तो ब्याज दरों की परिवर्तनशीलता बहुत घट जाएगी।
4. इसका मुख्य कार्य उधार लेने तथा उधार देने के बीच

परिपक्वता रूपान्तरण की समुचित श्रेणी प्रदान करना है। परिपक्वता रूपान्तरण से तात्पर्य है कि बैंक जितनी अवधि के लिए उधार लेता है। उससे अधिक लम्बी अवधि के लिए उधार देने की क्षमता रखता है, और साथ ही यह उधार लेने वालों को परिपक्वता रूपान्तरण की सामान्य कोटि प्रदान करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद्

(आईडीए)

अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् अथवा संघ की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। कानूनी और वित्तीय तौर से यह संस्था विश्व बैंक से अलग है, परन्तु वास्तव में यह विश्व बैंक की सहयोगी संस्था है। विश्व बैंक का अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष होता है। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है या उदार ऋण खिड़की है।

उद्देश्य

आर्थिक विकास के लिए ऐसे देशों को रियायती सहायता देना जिससे लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा हो। इनका सम्बन्ध जनसंख्या नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण आहार आदि से है। विश्व दरिद्रतम देशों की गरीबी हटाने के लिए सहायता प्रदान करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है।

सदस्यता

आईडीए की सदस्य विश्व बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली है। केवल विश्व बैंक के सदस्य ही इसके सदस्य बन सकते हैं। यदि कोई देश विश्व बैंक की सदस्यता से हट जाता है तो उसकी परिषद् की सदस्यता भी अपने आप समाप्त हो जाती है। विकास संघ के समझौते की धाराओं के अनुसार सदस्यों को दो **Class A** में विकसित देश और भाग-II में विकासशील देश हैं। वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् के 172 सदस्य हैं।

संरचना

इसका संगठन विश्व बैंक की तरह है। कुछ एक विभागों को छोड़कर इसका बाकी स्टाफ विश्व बैंक का ही होता है। विश्व बैंक के सभी उच्च अधिकारी इसके भी अधिकारी होते हैं और विश्व बैंक का अध्यक्ष इस परिषद् का भी अध्यक्ष होता है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट विश्व बैंक की रिपोर्ट का ही अंग होती है और दोनों को एक साथ ही पेश किया जाता है।

पूँजी संसाधन

वर्तमान में आईडीए के 32 अंश दाता देश हैं। विकास परिषद् को पूँजी-संसाधन इसके सदस्य देशों द्वारा दिए गए अंशदान, विकसित सदस्य देशों के द्वारा की गई सामान्य आपूर्तियों (Re-



plenishments) और विश्व बैंक शुद्ध अर्जनों के हस्तान्तरणों से प्राप्त होते हैं।

कार्यपद्धति

यह संगठन ऐसे सदस्य देशों जिनकी इस समय प्रतिव्यक्ति आय 865 डॉलर प्रति वर्ष से कम है, को 'नरम कर्जे' प्रदान करता है, और इसलिए आईडीए विश्व बैंक की 'नरम ऋण खिड़की' कहलाती है। इस प्रकार के कर्जे केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं जिन्हें विश्व बैंक प्रदान नहीं करता। ये केवल सहायता प्राप्तकर्ता देश की सरकार को दिए जाते हैं। नरम कर्जे प्रदान करने के पूर्व परिषद् की विशेषज्ञ समिति तीन कसौटियों की ओर ध्यान देती है।

1. गरीबी का मूल्यांकन (Poverty Test) परिषद् की सहायता केवल दरिद्रतम देशों को ही मिलती है, जिनकी वर्तमान में प्रतिव्यक्ति आय 865 डॉलर से कम है।
2. परियोजना का मूल्यांकन (Project Test) इस मूल्यांकन के अनुसार प्रस्तावित परियोजनाएं इतने वित्तीय और आर्थिक प्रतिफल प्रदान करती हैं कि उनसे दुर्लभ पूंजी का उपयोग उचित सिद्ध हो सके।
3. निष्पादन का मूल्यांकन (Performance Test) इस मूल्यांकन के तहत यह देखा जाता है कि पूर्व की परियोजना कार्यान्वित करने में देश किस हद तक सफल रहा है तथा सन्तोषजनक आर्थिक नीतियां अपनाई गई हैं या नहीं। उपरोक्त तीन मूल्यांकनों के आधार पर परिषद् अल्पविकसित देशों का कृषि, ग्रामीण विकास, परिवहन, शक्ति, शिक्षा, शहरीकरण, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, विकास वित्त कम्पनी आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता 'नरम ऋण' कहलाती है, जो निम्न शर्तों पर होते हैं।
 - (i) ऋणों की अदायगी में प्रथम 10 वर्ष की छूट होती है।
 - (ii) इन ऋणों की भुगतान अवधि 35-40 वर्ष होती है।
 - (iii) आवंटित राशि पर 0.75% प्रतिवर्ष की प्रशासकीय फीस (Administrative Fee) ली जाती है।
 - (iv) इन ऋणों पर 0 से 0.5% तक ब्याज दर ली जाती है जिसे वचनबद्धता फीस भी कहते हैं व्यवहार में पिछले कुछ वर्षों से ऋणों पर कोई वचनबद्धता फीस (Commitment Fee) नहीं ली गई है।
 - (v) गैर-परियोजना और परियोजना दोनों प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं।

आईडीए और भारत

- अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् के संस्थापक सदस्यों में से एक भारत है जो इससे बहुत विस्तृत आर्थिक सहायता प्राप्त कर

रहा है। भारत ने वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों जैसे-ऊर्जा, उद्योग आधारित ढांचा, शिक्षा, सिंचाई, कृषि एवं ग्रामीण विकास, शहरी विकास, सामाजिक सेवाओं, सरचनात्मक समायोजनों आदि के लिए आईडीए से ऋण ले रहा है।

- प्रारम्भ से लेकर जून, 1998 तक भारत ने 224 ऋण जिनकी कुल राशि 225.5 बिलियन डॉलर थी, आईडीए से प्राप्त किए थे। वर्ष 1998-99 के दौरान उसने 4 परियोजनाओं के लिए भारत को 645 मिलियन डॉलर के कर्जे स्वीकृत किए, जिनमें सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (Social Satety Programme) के अन्तर्गत सबसे अधिक राशि 595 मिलियन डॉलर थी।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य की देख-रेख, छूट की बीमारियों की रोकथाम, पोषहार और खाद्य सुरक्षा आते हैं। यह कार्यक्रम देश में प्रारम्भ किए गए सरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों को सम्भावित बुरे प्रभावों से दूर करने के लिए रखा गया है। 2003-04 में आईडीए ने सबसे ज्यादा ऋण चीन को प्रदान किया। दूसरा नम्बर भारत का है। भारत को 735.6 मिलियन डॉलर ऋण प्रदान किया था। साथ ही 1 बिलियन डॉलर का अनुदान भी।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक से सम्बन्धित एक अन्य संस्था है, जो जुलाई, 1956 में प्रारम्भ की गई थी। इसकी स्थापना के मुख्य कारण थे

1. विश्व बैंक केवल एक सदस्य देश की सरकार को अथवा उसकी गारण्टी पर ऋण देता है। अर्थात् यह निजी क्षेत्र को बिना उस देश की सरकार की गारण्टी के ऋण प्रदान नहीं करता है।
2. विश्व बैंक इक्विटी अथवा उद्यम (जोखिम) पूंजी निजी क्षेत्र को प्रदान नहीं करता है। यह केवल परोक्ष रूप में विकास वित्त कम्पनियों के माध्यम से निजी क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करता है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम इन दोनों कमियों को दूर करने हेतु विश्व बैंक की सम्बन्धित संस्था के रूप में स्थापित किया गया।

सदस्यता

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के वर्तमान में 184 सदस्य हैं। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की धाराएं विश्व बैंक करार के ढांचे के अनुरूप हैं। इस निगम की सदस्यता होने के लिए एक देश को विश्व बैंक का सदस्य होना अनिवार्य है।

आईएफसी विश्व बैंक सम्बन्धित है परन्तु इससे भिन्न है। इसके अपने कर्मचारी हैं परन्तु यह प्रशासकीय सेवाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता लेता है। इसका अपना एक संगठनात्मक



Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035

+91-9350679141

ढांचा है जिसमें एक अध्यक्ष, एक सभापति, शासक मण्डल और अधिशासी निदेशक, विश्व बैंक के ढांचे के अनुसार हैं। विश्व बैंक अध्यक्ष इस निगम का अध्यक्ष होता है परन्तु निगम की सभी प्रशासकीय शक्तियों उपाध्यक्ष में केन्द्रित होती है। इसके आठ विभाग हैं, जिनमें से चार निवेश से सम्बन्धित हैं, जो भौगोलिक आधार पर कार्य करते हैं। बाकी के चार विभाग पूंजी मार्केटों, वित्त और प्रबन्धन, कानूनी विषयों और इंजीनियरिंग से सम्बन्धित हैं, जो कार्यात्मक आधार पर परिचालन करते हैं।

पूंजी संसाधन

प्रारम्भ में आईएफसी की अधिकृत पूंजी 100 मिलियन डॉलर थी, जो 1000 डॉलर के प्रत्येक शेयर में 1,00,000 शेयरों में विभाजित थी। इस समय यह 1,300 विमिलियन डॉलर है निगम विश्व बैंक से अपनी अभिदत्त पूंजी और अतिरेकों का चार गुना उधार ले सकता है। यह विश्व मुद्रा बाजार से भी उधार ले सकता है।

उद्देश्य

आईएफसी के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन समझौते के अनुच्छेदों में धारा 2 में किया गया है, जोकि निम्नलिखित हैं

1. निगम का उद्देश्य, विशेषकर कम विकसित क्षेत्रों में उत्पादकीय निजी उपक्रम की वृद्धि को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है। इस प्रकार, विश्व बैंक के कार्यों को पूरक बनाना है।
2. घरेलू और विदेशी निजी पूंजी के निवेश सुअवसरों तथा अनुभवी प्रबन्धन को इकट्ठा करना है।
3. निगम का निजी निवेशकों के साथ मिलकर उत्पादकीय निजी उपक्रम की स्थापना, सुधार और प्रसार के वित्त-प्रबन्धन में सहायता करना है। इसके लिए इसका उद्देश्य सदस्य देश की सरकार की पुनर्भुगतान की गारण्टी के बिना उस देश में निवेश करना है।
4. सदस्य देशों में घरेलू और विदेशी पूंजी उत्पादकीय निवेश में प्रवाहित करने के लिए प्रोत्साहन देना और उसके लिए स्थितियां निर्मित करने में प्रेरक होना है।

कार्यपद्धति

1. **विदेशी और स्थानीय पूंजी प्राप्त करना (Secure Foreign and Local Capital) :** आईएफसी विकासशील देशों में इक्विटी अथवा ऋण निवेश द्वारा उत्पादकीय निजी निवेश प्रोत्साहित करने में भाग लेता है। यह इक्विटी पूंजी का जिम्मा लेता है और निवेशकों को इकट्ठा करता है। इस प्रकार यह स्थानीय और विदेशी उपक्रमों का सहयोग प्राप्त करता है। यह प्रस्तावित परियोजनाओं के सम्भाव्य अध्ययनों

को तैयार करने में उसकी सहायता करता है।

2. **तकनीकी सहायता (Technical Assistance) :** यह निगम परियोजना समर्थन करने वालों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करता है ताकि उनके उपक्रम सम्भावित तौर से उत्पादक और वित्तीय तौर से सही हों। इस कार्य के लिए, यह वित्तीय अध्ययन और विश्लेषण का भार अपने ऊपर लेता है। यह सदस्य सरकारों को नीति विषयक सहायता भी प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय और विदेशी निजी उपक्रम आकर्षित करने के लिए आवश्यक निवेश वातावरण विकसित कर सकें।

3. **निवेश (Investment) :** आईएफसी तीन प्रकार से विकासशील देशों में उत्पादकीय निजी निवेश को प्रोत्साहन देता है।

- (i) प्रत्यक्ष निवेश द्वारा,
- (ii) स्थानीय और विदेशी पूंजी प्राप्त करके,
- (iii) मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करके। यह पूंजी निर्यात देश अथवा जिस देश में उपक्रम स्थित है, से निजी निवेश के साथ साझेदारी में निवेश करता है। परन्तु इसके निवेश उपक्रम की पूंजी आवश्यकताओं से आधे (50%) से अधिक नहीं होती। एक उपक्रम में निगम का न्यूनतम निवेश 10 लाख डॉलर से कम नहीं होता, लेकिन उच्चतर सीमा कोई नहीं है। निगम से कर्ज मांगने वाला उपक्रम औद्योगिक होना चाहिए और एक विकासशील देश में स्थित हो। उसे आर्थिक विकास और पर्याप्त व्यावसायिक प्रतिफल की कसौटियों को पूरा करना चाहिए। निगम द्वारा निवेश-मशीनें और अन्य सामान खरीदने पर स्थानीय लागतों, कार्यकारी पूंजी, विदेशी विनिमय और कोई अन्य तर्कसंगत व्यावसायिक खर्च पर प्रयोग होता है। यह निवेश करने और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किसी भी प्रकार की गारण्टी न तो स्वीकार करता है और न ही मांगता है, सिवाय जब एक देश के कानून द्वारा आवश्यक हो।

4. **पूंजी मार्केट विकास (Capital Markets Development) :** निगम का एक पूंजी मार्केट विभाग है, जो विकासशील देशों को वित्तीय मार्केटों की समस्याओं और आवश्यकताओं के अध्ययन करने के लिए विशिष्ट साधन प्रदान करता है। यह वित्तीय संस्थाओं के विकास के लिए परामर्श और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और कानून एवं वित्तीय ढांचा विकसित करने में सहायता करता है, जो विकासशील देशों में स्थानीय और विदेशी पूंजी प्रोत्साहित कर सकें। निगम विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देकर वित्तीय



संस्थाओं के विकास के लिए परामर्श और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।, जो विकासशील देशों में स्थानीय और विदेशी पूंजी प्रोत्साहित कर सकें। निगम विकासशील देशों को तनकीकी सहायता देकर वित्तीय संस्थाओं, विकास वित्त कम्पनियों, पट्टा (Leasing) और उद्यमी (Venture) पूंजी कम्पनियों, पारस्परिक (Mutual) फण्ड आदि को प्रोत्साहित करने में सहायक होता है।

यह 7 से 12 वर्षों में परिपक्व होने वाले दीर्घकालीन ऋण और जोखिम पूंजी, व्यापारिक दर पर विकासशील देशों में निजी उपक्रम को उत्पादक निवेश के लिए देता है। निगम केवल विनिर्माण उद्योगों को ऋण देता है, लेकिन सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण नहीं दे सकता। वर्ष 1998 में, वित्त निगम ने विकासशील देशों में निजी क्षेत्र की 265 परियोजनाओं को 3.2 बिलियन डॉलर के ऋण स्वीकृत किए।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम और भारत

भारत वित्त निगम की स्थापना से ही इसका सदस्य है। वर्ष 1959 से अब तक निगम ने भारत के लिए लगभग एक बिलियन डॉलर के निवेश स्वीकृत किए हैं, जो अधिकतर दीर्घकालीन कर्जों के रूप में हैं। भारत में इसके निवेश मुख्य तौर से शक्ति, लोहा और इस्पात, मोटर, उद्योग, रसायन और पेट्रो-रसायन तथा सामान्य निर्माण जैसे उद्योगों में हुए हैं।

बहुपक्षीय निवेश गारण्टी एजेन्सी (MIGA)

बहुपक्षीय निवेश गारण्टी एजेन्सी (मिगा) विश्व बैंक ग्रुप की नवीनतम सम्बन्धित संस्था है, जो अप्रैल, 1998 में स्थापित हुई। यह अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ संयुक्त उपक्रम है। इसकी अधिकृत पूंजी 1.08 बिलियन डॉलर है।

उद्देश्य

- अपने गारण्टी प्रोग्राम के द्वारा यह राजनीतिक जोखिम दूर करने के लिए निवेश बीमा प्रदान करती है।
- इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य विकासशील देशों में प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करना है।
- मिगा का गारण्टी प्रोग्राम निवेशकों को चार प्रकार की गैर-व्यावसायिक जोखिमों से उत्पन्न होने वाली हानियों के विरुद्ध बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। ये जोखिम-करेन्सी हस्तान्तरण, स्वामित्व हरण युद्ध और नागरिक गड़बड़ी और सरकारों द्वारा ठेका-भंग से सम्बन्धित है।
- मिगा केवल नए निवेशों का बीमा कर सकता है जिसमें वर्तमान निवेशों का प्रसार, निजीकरण और वित्तीय पुनर्संरचना करना शामिल है।
- यह विकासशील देशों की सरकारों को प्रोत्साहन और परामर्श

देने वाली सेवाएं भी प्रदान करती है ताकि उनके निवेश वातावरण का आकर्षण बढ़ाया जा सके।

निवेश करने से पहले परियोजनाओं का मिगा के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है। निवेश राशि का 90% तक मिगा बीमा कर सकती है जिसकी प्रत्येक परियोजना की सीमा 50 मिलियन डॉलर है। इसमें वांछनीय निवेशों में इक्विटी, इक्विटी धारकों द्वारा दिए गए कर्ज या गारण्टी और कुछ अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष निवेश शामिल होते हैं। एक वित्तीय संस्था द्वारा दिए गए कर्ज का भी मिगा बीमा कर सकती है। बशर्ते यह एजेन्सी परियोजना में शेयर धारक के निवेश का भी बीमा कर रही हो।

कार्यपद्धति

मिगा से सहायता प्राप्त करने के लिए एक देश को उसका सदस्य बनना अनिवार्य है जिसके लिए मिगा के समझौते पर उसे हस्ताक्षर करने होते हैं। वर्तमान में मिगा के 177 सदस्य हैं। इसका पूर्ण सदस्य बनने के लिए एक देश को अपना पूंजी-अंशदान भी मिगा को देना होता है। अन्य देशों की तरह भारत ने भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुरक्षा के लिए मिगा के समझौते पर 13 अप्रैल, 1992 को हस्ताक्षर किए।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD)

इस बैंक ने 1946 से कार्य करना प्रारम्भ किया। यह बैंक मध्यम आय वाले देशों एवं साख योग्य गरीब देशों को ऋण एवं विकास सहायता प्रदान करता है। मतदान का अधिकार सदस्य देश के पूंजी शुल्क से सम्बद्ध है। वर्तमान में इसके 188 सदस्य हैं। दक्षिण सूडान ने वर्ष 2012 में इसकी सदस्यता ली है।

निवेश सम्बन्धी विवादों के निबटारे के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (ICSID)

आइ सी एस आई डी (1966 में स्थापित) सरकारों एवं विदेशी निजी निवेशकों के मध्य निवेश सम्बन्धी विवादों के समझौते या पंचनिर्णय द्वारा निबटारे की सुविधाएं प्रदान करता है। समाधान के लिए इस केन्द्र का आलम्बन स्वैच्छिक है किन्तु जब एक बार पक्ष पंचनिर्णय के लिए सहमत हो जाते हैं। तो फिर उनमें से कोई अपनी सहमति को एक पक्षीय तौर पर वापस नहीं ले सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष बनाम विश्व बैंक

समानता

दोनों ही ब्रेटनवुड समझौते के निर्णय की व्यवहारिक परिणति हैं। दोनों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की भावना को बल दिया जाता है।



Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035

+91-9350679141

अन्तर

विश्व बैंक द्वारा सदस्य राष्ट्रों में सन्तुलित आर्थिक विकास प्रोत्साहित करने हेतु दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जब कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य राष्ट्रों के भुगतान सन्तुलन के असाम्य को दूर करने के लिए अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

उरुग्वे दौर के गैट विचार-विमर्श 15 अप्रैल, 1994 मराकेश (मोरक्को) में समाप्त हो गए। यूरोपीय संघ देशों के अतिरिक्त भारत तथा 123 देशों के मन्त्रियों ने अन्तिम एक्ट पर हस्ताक्षर किए जिसमें बहुपक्षीय व्यापार विमर्शों का आठवाँ दौर शामिल था। अन्तिम एक्ट में WTO समझौता, जिसमें इस संस्था का जन्म उसकी कार्य-प्रणाली के नियम और मन्त्रिस्तरीय निर्णय और घोषणाएँ— जिसमें महत्वपूर्ण समझौते, वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक सम्पत्ति में व्यापार तथा बहुपार्श्विक (Plurilateral) व्यापार सम्मिलित हैं। उसमें झगड़ा निपटाने सम्बन्धी नियम और व्यापारिक नीति का पुनरावलोकन तन्त्र भी शामिल है। वास्तव में WTO समझौते का ही एक भाग बन गया है, जो 1 जनवरी, 1995 से लागू हुआ। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान डायरेक्टर जनरल पास्कल लैमी हैं।

WTO गैट का ही उत्तराधिकारी है। गैट एक मंच था जहाँ सदस्य देश समय-समय पर एकत्रित होते थे और विश्व व्यापार की समस्याओं पर वार्तालाप करते थे और उसको सुलझाते थे, परन्तु WTO एक सुव्यवस्थित और स्थायी विश्व व्यापार की संस्था है। इसकी एक कानूनी स्थिति है और यह विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समकक्ष ही स्थान रखता है। इसमें

- उरुग्वे दौर द्वारा संशोधित गैट (1986-94)
- गैट के अन्तर्गत स्वीकृत सब समझौते और व्यवस्थाएँ, तथा उरुग्वे दौर के सम्पूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं। 1 जनवरी, 1995 को WTO के सदस्य 77 देश थे। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या 159 है। भारत इसके संस्थापक देशों में शामिल है।
- प्रशान्त महासागर पर स्थित छोटा द्वीप राष्ट्र वनुआतु इसका 157वाँ सदस्य 24 अगस्त, 2012 को बनाया गया।
- रूस को 22 अगस्त, 2012 को WTO की 156वीं सदस्यता प्रदान की गई थी।
- जाम्बिया 158वाँ सदस्य है।

- 10 और सदस्य डब्ल्यूटीओ में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं ये सदस्य हैं
- अफगानिस्तान, भूटान, कोमरोज, इक्वेटोरियल गिनी, इथियोपिया, लाईबेरिया, साउटोम एण्ड प्रिंसिप, सूडान तथा यमन
- ताजाकिस्तान विश्व बैंक का 159वाँ सदस्य हैं। वह 2 मार्च, 2013 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना।

WTO की स्थापना के उद्देश्य

WTO के स्थापना समझौते की प्रस्तावना में निम्न उद्देश्य वर्णित हैं

1. विश्व के साधनों का इष्टतम उपयोग सततीय (sustainable) दृष्टि से करना इसका मुख्य उद्देश्य है जिससे (i) पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण हो, (ii) पर्यावरण रक्षा के साधनों का विस्तार आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप है।
2. व्यापार और वित्तीय प्रयासों के क्षेत्रों में इसके सम्बन्ध इस प्रकार चलाए जाएँ जिससे रोजगार सुनिश्चित होना और विस्तृत वास्तविक आय और प्रभावी माँग में लगातार वृद्धि, रहन-सहन के स्तर में सुधार हो तथा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और व्यापार का प्रसार हो।
3. निश्चयात्मक प्रयत्न करना जिससे विकासशील देश, विशेषतः निम्नतम विकसित देश अपने आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि में अपना उचित भाग पा सकें।
4. गैट में सम्मिलित, भूतकालीन व्यापार उदारीकरण के परिणाम और उरुग्वे दौर की सभी बहुपक्षीय संगठित व्यापारप्रणाली को विकसित करना।
5. पारस्परिक और परस्पर लाभकारी व्यवस्थाएँ जिनके द्वारा टैरिफ और व्यापार की रुकावटें तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धों में पक्षपातकारी व्यवहार को हटाकर इन उद्देश्यों की प्राप्ति करना।
6. व्यापारिक नीतियों, पर्यावरण सम्बन्धी नीतियों और सततीय विकास से सम्बन्ध स्थापित करना।

WTO के कार्य

WTO के निम्न कार्य हैं

- यह समझौते और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन, प्रबन्धन और संचालन को सरल बनाता है।
- यह सदस्यों के लिए मन्त्रिस्तर कॉन्फ्रेंस द्वारा स्वीकृत समझौतों सम्बन्धी, बहुपक्षीय व्यापार सम्बन्धी वार्ताओं तथा इनके द्वारा किए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए



Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035

+91-9350679141

एक मंच प्रस्तुत करता है।

- यह नागर विमानन, सरकारी खरीददारी, दुग्धोत्पादन व्यापार और गोमांस सम्बन्धी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन और परिचालन के लिए उचित ढाँचे का प्रबन्ध करता है।
- यह IMF, विश्व बैंक तथा इसकी सहयोगी शाखाओं के मध्य विश्व से व्यापार के लिए नीति-निर्धारण में अधिकतर संगति उत्पन्न करता है।
- यह समझौते के झगड़ा-निपटान नियमों तथा प्रक्रियाओं की व्याख्या का प्रबन्ध-संचालन करता है।

WTO के मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन

सम्मेलन

वर्ष

स्थान

पहला	9-13 दिसम्बर, 1996	सिंगापुर
दूसरा	18-20 मई, 1998	जेनेवा
तीसरा	30 नवम्बर-3 दिसम्बर, 1999	सिएटल
चौथा	9-14 नवम्बर, 2001	दोहा (कतर)
पाँचवाँ	10-14 सितम्बर, 2003	कानकुन (मैक्सिको)
छठा	13-18 दिसम्बर, 2005	हाँगकाँग (चीन)
सातवाँ	30 नवम्बर-2 दिसम्बर, 2009	जेनेवा
आठवाँ	15-17 दिसम्बर, 2011	जेनेवा
नौवाँ (प्रस्तावित)	15-17 दिसम्बर, 2013	बाली (इण्डोनेशिया)

एशियाई विकास बैंक (ADB)

एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 22 अगस्त, 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। यह बैंक यू एन (UN) इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एण्ड फार ईस्ट और गैर-क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करना है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी, अब एडीबी के पास 67 सदस्य हैं- जिसमें से 48 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। एडीबी का प्रारूप काफी हद तक वर्ल्ड बैंक के आधार पर बनाया गया था और वर्ल्ड बैंक के समान यहाँ भी भारत वोट प्रणाली की व्यवस्था है जिसमें वोटों का वितरण सदस्यों के पूँजी अभिदान अनुपात के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों ही पास 552,210 शेयर हैं- इन दोनों के पास शेयरों का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कुल का 12.756% है।

WTO के मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन

WTO की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था, सदस्य देशों के मन्त्रियों का सम्मेलन है जिसकी दो वर्ष में बैठक होनी जरूरी है। यह उन सभी सदस्य देशों को एकजुट करता है, जो सीमा शुल्क जैसे प्रावधानों के कारण अलग-अलग हैं।

यह सम्मेलन बहुपक्षीय व्यापार समझौते के अन्तर्गत किसी भी मामले पर फैसले कर सकता है। वर्ष 1995 में स्थापना के बाद में मन्त्रिस्तरीय के आठ सम्मेलन हो चुके हैं। नौवाँ सम्मेलन बाली में प्रस्तावित है।

एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला (मण्डालूयोंग सिटी) फिलीपीन्स में है और इसके प्रतिनिधि कार्यालय पूरे विश्व में हैं। बैंक में लगभग 2400 कर्मचारी हैं, जो इसके 67 प्रतिनिधि देशों में से 55 देशों से हैं और आधे से भी अधिक कर्मचारी फिलीपीन्स के रहने वाले हैं। वास्तव में एडीबी की योजना कुछ प्रभावशाली जापानियों द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1962 में एक क्षेत्रीय बैंक के लिए 'निजी योजना' तैयार की थी, जिसे बाद में सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त हो गया।

सहायता

बैंक की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जो प्रत्येक सदस्य देश के एक प्रतिनिधि के द्वारा बनी है। इसके बदले में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अपने समूह में से 12 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके सहायक के रूप में चुनते हैं। इन 12 सदस्यों में से 8 सदस्य क्षेत्रीय सदस्यों (एशिया पैसिफिक) से लिए जाते हैं जबकि बोर्ड



Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035

+91-9350679141

ऑफ गवर्नर्स, बैंक के अध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी अध्यक्ष होता है और एडीबी का प्रबन्धन देखता है।

कार्यकाल

अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। परम्परागत रूप से अब तक अध्यक्ष सदैव जापान से ही रहे हैं और यह सम्भवतः इसलिए भी है क्योंकि जापान बैंक के सर्वाधिक बड़े शेयर धारकों में से है। **वर्तमान अध्यक्ष, हारुहिको कुरोदा हैं,** जिन्होंने वर्ष 2005 में तदाओ चिनो से पदभार लिया था।

एशियाई विकास बैंक के प्रमुख कार्य

ADB के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं

1. अपने विकासशील सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए ऋण इक्विटी निवेश उपलब्ध कराना।
2. विकास परियोजनाओं और कार्यक्रम तथा परामर्श सेवाएँ करने और उन्हें लागू करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
3. विकासशील सदस्य देशों में समन्वयकारी विकास नीतियों और योजनाओं में सहायता के अनुरोधों पर कार्यवाही करना।
4. समन्वयकारी नीतियों और योजनाओं के विकासशील सदस्य देशों के सहायता अनुरोध पर कार्यवाही करना।

इस समय भारत में एशियाई विकास बैंक की सहायता वाली 27 परियोजनाएँ तथा 49 तकनीकी परियोजनाएँ चल रही हैं। ADB ने भारत में ग्रामीण साख व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु 1 अरब डॉलर का ऋण दिसम्बर, 2006 में प्रदान किया था।

31 दिसम्बर, 2004 तक बैंक के पूँजी स्टॉक में भारत का अंशदान सभी सदस्य देशों के भुगतान का 6.42 प्रतिशत था।

वर्ष 2009 में, एडीबी ने अपनी सार्वजनिक पूँजी में 200% की वृद्धि के पाँचवें सत्र के लिए सदस्यों से योगदान प्राप्त किया, यह जी-20 के नेताओं की उस सम्बोधन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किया गया था जिसमें उन्होंने बहुपक्षीय बैंकों के संसाधन में वृद्धि की बात की थी जिससे कि वैश्विक वित्त संकट के इस समय में विकासशील देशों के विकास को सहायता मिल सके।

एडीबी ऋण

एडीबी ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेज (ओसीआर-सामान्य पूँजी संसाधन) से व्यापारी शर्तों पर 'हार्ड' लोन देता है और

एडीबी से सम्बद्ध एशियन डेवलपमेण्ट फण्ड विशिष्ट कोष से रियायती दरों पर 'सॉफ्ट' लोन देता है। ओसीआर के लिए, सदस्यों द्वारा अभिदानित पूँजी, जिसमें भुगतान की हुई और प्रतिदेय पूँजी शामिल होती है। प्रारम्भिक अभिदान के लिए किए गए भुगतान के 50% के अनुपात में, वर्ष 1983 में हुई तीसरी सामान्य पूँजी वृद्धि का 5% और वर्ष 1994 में हुई चौथी सामान्य पूँजी वृद्धि का 2% है। एडीबी अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों में अपनी पूँजी की गारण्टी पर ऋण लेता है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय (यूरोपीय संघ)

यूरोपीय आर्थिक समुदाय अथवा यूरोपीय समुदाय की स्थापना वर्ष 1957 में रोम की सन्धि के अन्तर्गत फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नीदरलैण्ड्स आदि देशों द्वारा की गई। इस समुदाय के अब 27 सदस्य हैं। प्रारम्भिक 6 सदस्यों वाले इस समुदाय का 1 जनवरी, 1973 से विस्तार किया गया और इसमें आयरलैण्ड, डेनमार्क तथा ब्रिटेन को शामिल किया गया। वर्ष 1981 में ग्रीस को एवं तत्पश्चात् वर्ष 1984 में पुर्तगाल तथा स्पेन को भी शामिल कर लिया गया। वर्ष 1995 से यह यूरोपीय संघ कहलाता है।

यूरोपीय संघ के सदस्य

वर्तमान सदस्य (27) - ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, रिपब्लिक ऑफ आयरलैण्ड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैण्ड्स, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैण्ड, हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, माल्टा, साइप्रस, बुल्गारिया तथा रूमानिया।

यूरोपीय समुदाय की अगुआ यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय सन्धि थी, जिसका अनुमोदन वर्ष 1952 में जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, और नीदरलैण्ड्स ने किया। इसने सभी आयात शुल्कों तथा कोयला, कच्चा लोहा, इस्पात और समुदाय के देशों के परस्पर व्यापार कोटा प्रतिबन्धों को समाप्त किया। इसका उद्देश्य इन उद्योगों में **पैमाने की मितव्ययिताओं** को प्राप्त करना था ताकि वे यू एस तथा अन्य विदेशी उत्पादकों के साथ प्रभावी तौर से प्रतियोगिता कर सकें। अतः यूरोपीय समुदाय का प्रमुख उद्देश्य सदस्य यूरोपीय देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी और श्रम के खुले आवागमन में आने वाली बाधाओं को खत्म करना तथा कृषि और परिवहन के क्षेत्र में समान नीतियाँ बनाना तथा बाहरी व्यापारिक नीतियाँ बनाना है।

संरचना

यूरोपीय आर्थिक समुदाय का संगठनात्मक ढाँचा निम्नवत है



Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035

+91-9350679141

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ/व्यापारिक संगठन

संगठन तथा समूह	स्थापना	मुख्यालय	सदस्य
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	1945	वाशिंगटन	187
विश्व बैंक समूह	1945	वाशिंगटन	187
(i) आईबीआरडी (IBRD)	1945	वाशिंगटन	187
(ii) आईएफसी (IFC)	1956	वाशिंगटन	182
(iii) आईडीए (IDA)	1960	वाशिंगटन	170
(iv) एमआईजीए (MIGA)	1988	वाशिंगटन	175
(v) आईएसआईडी (ICSID)	1966	वाशिंगटन	155
यूरोपियन संघ (EU)	1993	ब्रुसेल्स	27
विश्व व्यापार संगठन (WTO)	1995	जिनेवा	153
आसियान (ASEAN)	1967	जकार्ता	10
एशियाई विकास बैंक (ADB)	1966	मनीला	67
एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (APEC)	1989	सिंगापुर	21
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC)	1985	काठमाण्डू	8
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)	1948	पेरिस	34
दक्षिण साझा बाजार (MERCOSUR)	1991	मोंटेवीडियो	4
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC)	1960	वियना	12
हिमतक्षेस (IORARC)	1997	वाकोस	18
मेकांग-गंगा सहयोग (MGC)	2000	विएनतिएन	6
शंघाई सहयोग संगठन (SCO)	1996	बीजिंग	6
बिमस्टेक (BIMSTEC)	1997	ढाका	7
जी-8 (G-8)	1997	—	8
जी-77 (G-77)	1964	न्यूयॉर्क	132
जी-15 (G-15)	1989	जिनेवा	17
जी-20 (G-20)	1999	जिनेवा	17
जी-10 (G-10)	1962	पेरिस	11
इबसा (IBSA)	2003	—	3



Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035

+91-9350679141